"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 जनवरी 2003—पौष 16, शक 1924

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-23/न. प्र./18/2002.—नगर पंचायत, रतनपुर, जिला बिलासपुर का कार्यकाल दिनांक 7-1-2003 को समाप्त होने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 328 (3) के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा, जिला बिलासपुर को आगामी आदेश तक नगर पंचायत रतनपुर, जिला बिलासपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है.

Raipur, the 6th January 2003

NOTIFICATION

No. F 1-23/UAD/18/2002.—Since the period of the elected Nagar Panchayat, Ratanpur, district Bilaspur is getting over on 7-1-2003, therefore, in exercise of powers conferred under Section 328 (3) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961, the State Government hereby appoints sub-divisional officer (revenue), Kota, district Bilaspur as the Administrator of the Nagar Panchayat Ratanpur till further orders.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा [illegible]कीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.